वज्रपु संबया नायडू और अन्य

बनाम

ए.पी. राज्य और अन्य

02 सितम्बर 2003

[एन. संतोष हेगड़े और बी. पी. सिंह, एजेजे]

भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 148, 149, 300, 304 भाग-1, 324 - आरोपी व्यक्तियों का जमीन पर कब्जा प्रतिद्वंदी पक्ष द्वारा बलपूर्वक जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करना और आरोपी व्यक्तियों पर धारदार हथियारों से हमला करना, आरोपी व्यक्तियों द्वारा किये गये प्रतिरोध में उनमें से एक की मौत हो गयी और दोनों पक्षों के व्यक्तियों को चोटें कारित हुयी-अभियुक्त व्यक्ति या सम्पत्ति की निजी सुरक्षा के अधिकार का दावा करते हैं। निर्धारित किया गया कि तथ्यों के आधार पर, अभियुक्त व्यक्तिगत साथ ही साथ संपत्ति को व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार है। कोई बात अपराध नहीं है जो व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। मृतक की सभी चोटों के संचयी प्रभाव से मृत्यु हुयी है न कि किसी एक चोट से। किसी विशिष्ट आरोपी के कारण कोई विशिष्ट चोट नहीं आई है। निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के मामले में आईपीसी की धारा 34/149 लागू नहीं होती। अगर सभी अभियुक्तों को देखे तो यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि

किस आरोपी ने अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया है। इसलिये सभी आरोपित व्यक्ति संदेह का लाभ प्राप्त करने के हकदार है। इसलिये उनकी दोषसिद्धि को रद्द किया जाता है।

आपराधिक अपील- अपीलार्थी अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया। न्याय के हित में गैर-अपील करने वाले अभियुक्तों को भी लाभ दिया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि एक "जी" आरोपी का ए 13 द्वारा खरीदी गयी 2.50 एकड जमीन पर कब्जा था और उक्त भूमि उनके बीच मुकदमें बाजी का विषय थी। घटना के दिन आरोपी व्यक्तियों ने अपने आपको विधि विरूद्ध जमाव के रूप में गठित किया और चाकू और लाठियों से लैस होकर "जी" की झोपडी में आए। वे नशे में भी थे। आरोपी 'ए 1' और 'ए 4' ने आरोप लगाया कि उन्होंने आरोपी ए 13 से जमीन खरीदी थी और वे बल प्रयोग करके जमीन पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद आरोपित व्यक्तियों ने 'जी' और पी डबल्यू 01 लगायत 06 पर हमला किया, "जी" मारा गया और बाकी घायल हो गये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मृतक को 12 चोटें लगी थी जो मौत का कारण बनने के लिये पर्याप्त थीं और कोई भी चोट स्वयं अपने आप में प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मौत का कारण बनने के लिये अपर्याप्त थी और केवल दो चोटें तेज धार वाले हथियार से कारित थी और अन्य फटी हुयी चोटें केवल लाठी से लगी हुई थीं। अभियुक्त संख्या-21 पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 148, 447, 302, 302

सपठित 149, 307, 307 सपठित 149, 324 और 427 के तहत आरोप लगाये गये थे।

अभियुक्त व्यक्तियों ने संपत्ति की निजी सुरक्षा के अधिकार के साथ-साथ व्यक्ति की निजी सुरक्षा के अधिकार का दावा किया। उनका मामला यह था कि आरोपी ए-13 ने मृतक के कब्जे वाली भूमि के संबंध में मृतक के खिलाफ बेदखली का आदेश प्राप्त किया और निष्पादन कार्यवाही में भूमि का कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। मृतक ने उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया और जब आरोपी व्यक्तियों ने विरोध किया तो अभियोजन पक्ष के सदस्यों द्वारा उन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया और उनके द्वारा किये गये प्रतिरोध में मृतक की मृत्यु हो गयी। अभियोजन पक्ष अभियुक्त ए 1, ए 9 और ए 12 की चोटों के बारे में स्पष्टीकरण देने में विफल रहा और यह कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कार्यवाही में मृतक के खिलाफ एक आदेश पारित किया गया।

विचारण न्यायालय ने माना कि ए 13 सहित आरोपी व्यक्तियों ने अतिचार नहीं किया क्योंकि विवादित भूमि उनके वास्तविक कब्जे में थी। जब तक आरोपी व्यक्तियों ने ए 13 के कब्जे की रक्षा के लिये बल का प्रयोग नहीं किया तब तक उन्होंने गैरकानूनी सभा/जमाव का गठन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया और अभियोजन पक्ष के सदस्यों पर हमले में शामिल हो गये तो यह सभा गैरकानूनी हो गयी। किसी विशिष्ट आरोपी को कोई विशिष्ट चोट के लिये

जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आरोपी ए 1 लगायत ए-4 और ए-7 ने मृतक को चोट पहुंचाने में भाग लिया था, और यह कि आरोपी व्यक्तियों को अपने कब्जे की रक्षा के लिये संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार था, लेकिन उस अधिकार का प्रयोग करते समय उन्होंने मृतक पर हमला करके उसकी मृत्यु का कारण बनकर अपने अधिकार का उल्लंघन किया। तद्नुसार ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 148 के तहत 11 आरोपियों को दोषी ठहराया और बाकी को संदेह का लाभ देते हुये बरी कर दिया गया। इसके अलावा आरोपी ए 1 लगायत ए 4 और ए 7 को भी आईपीसी की धारा 304 भाग 1 के तहत दोषी ठहराया गया और आरोपी ए 1, ए 7 और ए 10 को धारा 324 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया। सभी 11 दोषी व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की।

उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि मृतक और उसके परिवार के सदस्यों का विवादित भूमि पर वास्तविक कब्जा था और आरोपी व्यक्तियों ने जबरन भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया। तद्नुसार उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन मामले के तथ्यों को देखते हुये आईपीसी की धारा 304 भाग 1 के तहत सजा को कम कर दिया। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर आरोपी ए 1 और ए 4 को छोडकर शेष नौ आरोपियों ने यह अपील दायर की है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुये अभिनिर्धारित किया

1.1 विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष दर्ज करना उचित था कि ए-13, ए-1 और ए-4 का विचाराधीन भूमि पर वास्तविक भौतिक कब्जा था। विचारण न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता आईपीसी की धारा 447 के तहत दंडनीय अतिचार के दोषी नहीं थे। रिकार्ड पर मौजूद निर्विवाद सबूतों के मद्देनजर इस निष्कर्ष को रद्द करना उच्च न्यायालय के लिये उचित नहीं था। (311 एफ)

1.2 रिकॉर्ड पर साक्ष्य से यह जाहिर है और स्पष्ट रूप से स्थापित है कि बेदखली के आदेश के बाद निष्पादन की कार्यवाही की गयी जिसमें कब्जे की वास्तविक सुपुर्दगी हुयी और आरोपी ए-13 के कब्जे में भूमि आ गयी जो अमीन की रिपोर्ट से प्रमाणित है। इसलिये उच्च न्यायालय इस धारणा पर आगे बढने में गलती कर गया कि ए-13 को दिया गया कब्जा महज कागजी कब्जा था। इतना ही नहीं मृतक के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा एक आदेश भी पारित किया गया था। एक बार जब यह पाया जाता है कि यह बचाव पक्ष का ही जमीन पर कब्जा था तो अपीलकर्ताओं को हमलावर नहीं माना जा सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष दर्ज करना उचित था कि ए-13, ए-1 और ए-4 के पास विचाराधीन भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा था।(311 डी-एफ)

1.3 इसलिये बचाव पक्ष के मामले की संभावना यह है कि जब अभियोजन पक्ष के सदस्यों ने बल प्रयोग करके उन्हें बेदखल करने की कोशिश की तो वे अपने कब्जे का

बचाव कर रहे थे। यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ताओं में से तीन अर्थात ए-2, ए-9 और ए-12 को भी उसी घटना में चोटें आयीं और उसी दिन जांच अधिकारी द्वारा उनकी चिकित्सीय जांच भी कराई गई। यह पाया गया कि उन्हें भी धारदार हथियार से कई चोटें आई थीं। इन चोटों को अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है जो बचाव पक्ष के मामले को और अधिक संभावित बनाता है कि अभियोजन पक्ष ही आक्रामक था। यदि बचाव पक्ष का विवादित भूमि पर कब्जा था तो उनके लिये आक्रामक होने का वास्तव में कोई कारण नहीं था और यदि यह अभियोजन पक्ष ही था जो बल प्रयोग से अपीलकर्ताओं को बेदखल करने का प्रयास कर सकता था। 311 एच 312 ए-सी]

2.1 मामले के तथ्यों से पता चलता है कि जब अपीलकर्ताओं ने संपत्ति की निजी सुरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग किया जब अभियोजन पक्ष के सदस्यों द्वारा उन पर हमला किया गया और उनमें से तीन को चोटें आईं। इस संबंध में बचाव का मामला संभावित प्रतीत होता है और इसलिये हालांकि शुरू में अपीलकर्ताओं के पास केवल संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार था एक बार अभियोजन पक्ष के सदस्यों ने उन पर तेज धार वाले हथियारों से हमला शुरू कर दिया जिससे व्यक्तिगत एवं संपत्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार को उत्पन्न किया। वे निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के सदस्यों का विरोध करने के लिये उचित बल का उपयोग करने के हकदार थे और यदि आवश्यक हो तो निजी सुरक्षा का उनका अधिकार किसी भी हमलावर की मृत्यु

कारित करने तक विस्तारित था, इसलिये मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अपीलकर्ता व्यक्तिगत सुरक्षा एवं संपत्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का उपयोग करने के हकदार थे। दुर्भाग्य से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले को इस नजरिये से नहीं देखा है। (312 डी-जी)

2.2 अन्यथा भी यह सुस्थापित है कि ऐसे मामले में जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि बचाव पक्ष के सदस्यों ने व्यक्ति की निजी रक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया है वहां अदालत को केवल उन व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिये और दंडित करना चाहिये जिन्होंने उस अधिकार का उल्लंघन किया है। आईपीसी की धारा 34/149 उन व्यक्तियों के मामले में लागू नहीं होगी जो अपने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। (313 ए-बी)

बिहार राज्य बनाम मथु पांडे 1970, 1 एससीआर 358 और सुब्रमणि बनाम तमिलनाडु राज्य 2002, 7 एससीसी 210 पर भरोसा किया गया।

2.3 संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार के प्रयोग में अपीलकर्ता निश्चित रूप से मृत्यु कारित किये बिना आवश्यक बल का उपयोग करने के हकदार थे। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि अपीलकर्ताओं में से किसने निजी सुरक्षा के अपने व्यक्तिगत अधिकार का अतिक्रमण किया है और इसलिये संदेह का लाभ सभी अपीलकर्ताओं को मिलना चाहिये। 313 डी, ई.

3. अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 148 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई बात अपराध नहीं है जो अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार के क्रम में की गयी हो।

4. अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ सभी आरोपों से बरी किया जाता है। यह देखा गया है कि आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 4 के मामले अपीलकर्ताओं के समान ही है। किसी कारण से उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष अपील नहीं की है, लेकिन न्याय के हित में वे भी इस फैसले का लाभ पाने के हकदार है, वे भी दोषमुक्त किये जा रहे हैं। [1313 ई, एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 603/ 2002

आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के सीआर.एल.ए का ए.नं. 650/1995 में आदेश दिनांक 28-09-2001 से।

अपीलकर्ताओं की ओर से के.वी. विश्वनाथन, डी. भरत कुमार, आनंद डे, जी. वेंकटेश और अभिजीत सेन गुप्ता।

प्रत्यर्थीयों की और से सुश्री टी.अनामिका और गुंटूर प्रभाकर।

न्यायालय का निर्णय श्री बी.पी. सिंह, जे. द्वारा सुनाया गया।

विशेष अनुमति याचिका द्वारा अपीलकर्ताओं ने 1995 की आपराधिक अपील संख्या 650 द्वारा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के दिनांक 28-09-2001 के

निर्णय और आदेश को चुनौती दी। उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 पार्ट 1, 324 और 148 में की गयी दोषसिद्धि को चुनौती दी। यहां विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी आरोपी नंबर 2,3,5,6,7,8,9,10 और 12 थे। इन सभी को आईपीसी की धारा 148 के तहत एक साल के सश्रम कारावास की सजा ए-2, ए-3, ए-7 को भारतीय दंड संहिता 304 भाग 1 के तहत 3 साल के सक्षम कारावास और ए 7, ए 10 को आईपीसी की धारा 324 में 1 वर्ष के सक्षम कारावास की सजा सुनाई। इन सभी को अलग-अलग मामलों में जुर्माने की एवं जुर्माना जमा न करने पर कारावास की सजा भी दी गयी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय, विशाखापट्नम के समक्ष सेशन केस नंबर 25/1993 में कम से कम 21 व्यक्तियों को विचारण के लिये पेश किया गया। विचारण लंबित रहने के दौरान, अभियुक्त संख्या 13 की मृत्यु हो गयी और इसलिये उसके खिलाफ मुकदमा समाप्त हो गया। अभियुक्त ए-11 और ए-14 लगायत ए-21 को लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। इस प्रकार 11 व्यक्तियों को विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था, जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसे आईपीसी की धारा 304 भाग-एक के तहत सजा में परिवर्तन के कारण खारिज कर दिया गया, जिसे उच्च न्यायालय ने 7 साल के कठोर कारावास से घटाकर तीन साल के कठोर कारावास में कम कर दिया था। हालांकि ए-1 और ए-4 को उच्च न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया

गया था, लेकिन उन्होंने इस न्यायालय में अपील नहीं की और केवल शेष 9 आरोपियों ने ही इस अपील को किया।

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 23 जुलाई, 1992 को सुबह लगभग 11.30 बजे ग्राम पोत्रावोलु में एक घटना घटी जिसमें मृतक लंका गंगाराजू की मृत्यु हो गई और पी डब्लयू 01 लगायत 06 घायल हो गये। अभियुक्त संख्या 21 ने स्वयं को एक विधि विरूद्ध जमाव के रूप में गठित किया।

मृतक और अभियोजन पक्ष के अन्य सदस्यों, अर्थात पी डबल्यू 1 लगायत 6 पर हमला किया यह निर्विवादित है कि मृतक ने सूरीबाबू के भाई सत्यलिंगम से 2.50 ऐकड जमीन खरीदी थी। मृतक द्वारा खरीदी गई जमीन के बगल में, सूरीबाबू के पास 2.50 ऐकड जमीन थी, जिसे उसने ए-13 को बेच दिया। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि ए-13 को बेची गई भूमि भी कब्जें में पट्टेदार के रूप में मृतक के कब्जें में ही थी जबकि वह ए-13 के पक्ष में बेची जा चुकी थी। ए-13 द्वारा खरीदी गई भूमि से संबंधित पक्षों के बीच विचाराधीन मुकदमा लंबित था। मृतक ने उस जमीन के एक हिस्से में मिर्च की फसल उगाई थी जबकि विवादित जमीन के बाकी हिस्सें में अन्य फसल उगाई थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 23 जुलाई, 1992 को सुबह लगभग 11 बजे मृतक अपने दामाद- पी डलब्यू 1, अपने पोते- पी डबल्यू 2 और अपनी बेटी- पी डबल्यू 3 के साथ भूमि के उस हिस्से पर निराई-गुडाई का कार्य जहां

मिर्च की फसल उगाई गई थी। पी डबल्यू 5 और 6 भी घास लेने आये थे। इसके तुरन्त बाद लगभग 20 संख्या में आरोपीगण और अरक के पैकेट के साथ वहां आए। उन्होंने मेढ़े को ए-13 के शेड में रखा जो उनके खेत से लगभग 100 गज की दूरी पर था। इसके बाद आरोपीगण उस जमीन के पास मृतक की झोंपडी में आये जिस पर मिर्च की फसल उगाई गई थी। वे नशे में थे और चाकू और लाठीयों से भी लैस थे। ए-1 और ए-4 जो अपीलकर्ता नहीं ने मृतक से पूछताछ की और आरोप लगाया कि उन्होंने ए-13 से जमीन खरीदी थी और वे बलप्रयोग करके जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ए-1 और ए-4, जो चाकूओं से लैस थे, ने मृतक के सिर पर चोटें पहुंचाई जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया। इसके बाद ए-2, ए-3, ए-7 और ए-12 ने मृतक के हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों पर लाठीयों से हमला किया पी डबल्यू 1 ने घटनास्थल से भागने का प्रयास किया लेकिन ए-1 ने इसका पीछा किया और उसको चाकू से मारा परिणामस्वरूप वह गिर गया। तत्पश्चात ए-2, ए-4, ए-7 और ए-12 ने उसको लाठीयों से मारा। जब पी डबल्यू 1 की पत्नी पी डबल्यू 3 ने अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया। ए-2, ए-3, ए-7, ए-12 ने उसको लाठीयों से मारा। वही ए-5 ने उसके पेट में लात मारी। ए-1 लगायत ए-4, ए-6 और ए-8 ने पी डबल्यू 4 को लाठीयों से मारा। इस घटना में पी डबल्यू 1 लगायत पी डबल्यू 6 को चोटें लगी।

दोपहर करीब दो बजे घायलों को कोथाकोटा पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां से उन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पी डब्ल्यू 14 हैड कांस्टेबल जो उस समय पुलिस स्टेशन का प्रभारी था ने अस्पताल में पीडब्ल्यू -1 के 14 बयान दर्ज किए और रिपोर्ट के आधार पर धारा 147,148,302,307,326 और 324 सपठित धारा 149 और आइपीसी के तहत अपराध क्रमांक 20 सन 1992 दर्ज किया गया।

पुलिस स्टेशन लौटने पर उसने पाया कि बचाव पक्ष के कुछ सदस्य भी पुलिस स्टेशन आए थें और उनमें से ए-1, ए-9 और ए-12 घायल थे। उन्हें, उसके द्वारा अस्पताल ले जाया गया और ए-1 के बयान के आधार पर अंतर्गत धारा 147, 148, 324 सपठित धारा 149 आईपीसी में मुकदमा नंबर 21/1992 दर्ज किया।

पी डबल्यू 15 पुलिस निरीक्षक इच्चापुरम ने मामले का अनुसंधान संभाला और अस्पताल पहुंचा। पी डबल्यू 01 से पी डबल्यू 06 तक की परीक्षा की और उनके खून से सने कपडे जब्त किये। उसने आरोपियों ए-1, ए-9 और ए-12 के बयान भी दर्ज किये। उसने जांच के क्रम में आगे की कार्यवाही की।

मृतक गंगाराजू के शव को पोस्टमार्टम के लिये सरकारी अस्पताल नर्सीपट्नम भेजा गया जो पी डबल्यू 12 द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसको प्रदर्श पी 11 अंकित किया गया। सरकारी औषधालय कोठाकोटा में पी डबल्यू 11 द्वारा घायल

गवाहों की भी जांच की गयी। उसी डाॅक्टर ने ए 1, ए 9 और ए 12 की चोटों की भी जांच की। अंततः आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय विशाखापट्नम के समक्ष मुकदमा 25/1993 में विचारण के लिये पेश किया गया।

21 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की 18 धाराओं 148, 447, 302, 302 सपठित 149, 307, 307 सपठित 149, 324, 427 में चार्ज लगाया गया। जैसा की पूर्व में देखा गया विचारण न्यायालय ने 9 आरोपियों को उन पर लगे सभी आरोपों में दोषमुक्त कर दिया। विचारण के दौरान ए-13 की मृत्यु हो गयी और इसलिये उसके खिलाफ विचारण समाप्त हो गया। ए-1 लगायत ए-10 और ए-12 को विचारण न्यायालय ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। ए-1 और ए-4 ने इस न्यायालय के समक्ष अपील नहीं की है।

अनावश्यक विवरण से अन्यथा बचाव पक्ष का मामला यह था कि विवादित भूमि मूल रूप से सूरीबाबू की थी जिसे ए-13 ने खरीदा था जिसने बाद में इसे ए-4 को बेच दिया। मृतक का उक्त भूमि पर वास्तविक कब्जा था और इसलिये ए-13 ने प्रधान जिला मुंसिफ की अदालत में ए.टी.सी. नंबर 3 ऑफ 1985 में बेदखली के लिये कार्यवाही शुरू की। उक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप मृतक के विरूद्ध बेदखली का आदेश हुआ। ए-13 ने मामले को इजराय में आगे बढाया और 13 मई 1992 को

इजराय कार्यवाही ई.पी. संख्या 37, 1992 में अमीन द्वारा कब्जा का हस्तांतरण प्रभावित हुआ। कब्जे के हस्तांतरण के पश्चात भूमि प्रश्नगत ए-13 के वास्तविक कब्जे में आ गयी जो उसके बाद उसके कब्जे में रही। बचाव पक्ष का मामला यह है कि मृतक के हाथों अशांति की आशंका के चलते धारा 144 सीआरपीसी के तहत मिसलेनियस नंबर 3, 1992 को कार्यवाही की गई। 18 जून 1992 को 144 सीआरपीसी में मृतक एवं उसकी पार्टी के सदस्यों के विरूद्ध एक आदेश पारित किया गया।

बचाव पक्ष का मामला यह है कि घटना की तारीख पर मृतक ने उस जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया था जिस पर कब्जा अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से ए-13 को दिया गया था। जब ए-13 और अन्य ने मृतक की मनमानी का विरोध किया तो अभियोजन पक्ष के सदस्यों द्वारा उन पर तेज धार वाले हथियारों से हमला किया गया जिसके परिणामस्वरूप ए 1, ए 9 और ए 12 के चोटें आईं। अभियोजन पक्ष आक्रामक था और जब बचाव पक्ष के सदस्यों ने संपत्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करना चाहा तो उन पर हमला किया गया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपना बचाव करने के लिये मजबूर होना पडा इन्हीं परिस्थितियों में यह घटना घटी। इस प्रकार अभियुक्त ने संपत्ति की निजी सुरक्षा के अधिकार के साथ-साथ व्यक्ति की निजी सुरक्षा के अधिकार का भी दावा किया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक गंगाराजू को 12 चोटें लगी थीं जो डॉक्टर की राय में प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मौत का कारण बनने के लिये

पर्याप्त थी। दायीं और बायीं बाह पर दो चोटें तेज धार वाले हथियार से लगी थीं, जबकि कटी हुयी चोटें लाठियों से लगी हो सकती थी। खोपडी में कोई फ्रेक्चर नहीं था, हालांकि सिर पर 4 फटे हुये घाव थे। जैसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा गया है। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि प्रकृति की सामान्य अनुक्रम में कोई भी एक चोट मौत का कारण बनने के लिये पर्याप्त थी। खोपडी क्षेत्र पर 4 चोटों के अलावा शेष 8 चोटें शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्सों पर थीं मुख्य रूप से अंगों पर। दो चोटें अर्थात चोट संख्या 4 और 6 दाहिनी और बायीं बाहं पर चाकू से लगी चोटें थीं। विचारण न्यायालय रिकार्ड पर मौजूद सबूतों के अवलोकन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची की चोटें 4 और 6 के अलावा जो किसी तेज धारदार हथियार से कारित हुई थीं, अन्य चोटें जो फटी हुई थी, किस चाकू और तेज धारदार हथियार से कारित नहीं थीं, जाहिरा तौर पर लाठी के कारण हो सकती है।

जहां तक ए-2, ए-9 और ए-12 की चोटों का सवाल है। डा॰क्टर पी डबल्यू 11 ने पाया कि ए-2 को घुटने के जोड के उपर पार्श्व पहलू पर जांघ पर चोट लगी थी और ए-9 को भी 2 फटी हुयी चोट लगी थी।

विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत आरोप पर विचार करते हुये माना कि ए-13 ने विवादित जमीन सूरीबाबू से खरीदी थी। खरीद के बाद उन्होंने मृतक के खिलाफ आंध्र किरायेदारी अधिनियम ए.टी.सी. नंबर 3

आॅफ 1985 के तहत बेदखली का वाद दायर किया। उक्त कार्यवाही का परिणाम ए-13 के पक्ष में हुआ और मृतक के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया। इसके बाद ए-13 ने इजराय कार्यवाही ई.पी. 37/992 दायर की। कब्जे का अंतरण 13 मई 1992 को किया गया। अदालत ने एक स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि भूमि के कब्जे का वास्तविक अंतरण 13 मई 1992 को हुआ था, क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य सहित पर्याप्त साक्ष्य थे जो संदेह से परे साबित करते हैं कि कब्जे का वास्तविक अंतरण 13 मई 1992 काे हुआ था। अदालत ने अमीन द्वारा दर्ज की गयी कार्यवाही का हवाला दिया जिसमें कब्जे का वास्तविक अंतरण दिखाया गया था। इसलिये यह माना गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामला कि विचाराधीन भूमि पर उसका कब्जा था, संदिग्ध था, जबकि दूसरी और विवादित संपत्ति पर ए-13 के कब्जे के संबंध में सकारात्मक सबूत थे। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि ए-13 सहित बचाव पक्ष के सदस्यों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत दंडनीय अतिचार किया है, क्योंकि विवादित भूमि उनके वास्तविक कब्जे में थी। अदालत ने तद्नुसार माना कि धारा 447 के तहत आरोप साबित नहीं हुआ और आरोपी व्यक्ति उस आरोप के तहत दोषमुक्त होने के हकदार थे।

विचारण न्यायालय ने तब आईपीसी की धारा 148 के तहत आरोप पर विचार किया। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि ए-1 से ए-10

और ए-12 वे व्यक्ति थे जिनकी उपस्थिति निर्धारित की गई थी और जिन्होंने अभियोजन पक्ष पर हमले में भाग लिया था। इसके पश्चात यह देखा गया कि यद्यपि जमीन पर आने के समय उनके मन में अपराध करने का कोई दुराशय नहीं था। उनके बाद के कृत्यों ने स्पष्ट रूप से उन्हें आईपीसी की धारा 141 के स्पष्टीकरण के तहत ला दिया जिसका अर्थ है कि यद्यपि सभा उसके गठन के समय विधि विरूद्ध नहीं थी, तत्पश्चात यह विधि विरूद्ध सभा बन गई। आगे यह निर्धारित किया कि इन आरोपी व्यक्तियों का इरादा गंगाराजू की मृत्यु कारित करना नहीं था और उनका एकमात्र उद्देश्य उस संपत्ति पर कब्जा बनाए रखना था जो ए-13 के नियंत्रण में थी। हालांकि ए-1 और ए-4 चाकूओं से लैस थे और ए-2, ए-3, ए-5, ए-6, ए-7, ए-8, ए-9, ए-10 और ए-12 वे लाठियों से लैस थे जो अपराध के हथियार है और जिनका उपयोग घटना के दौरान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप गंगाराजू की मृत्यु हो गई। ये आरोपी व्यक्ति आईपीसी की धारा 148 के तहत अपराध के दोषी थे। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष न कि बहुत स्पष्ट बल्कि फैंसले को निष्पक्ष रूप से पढने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके विचार में शुरूआत में सभा का सामान्य उद्देश्य ए-13 के कब्जे की रक्षा करना था जो कि विधि विरूद्ध नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया और अभियोजन पक्ष के सदस्यों पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो सभा जो अपनी स्थापना के समय वैध थी विधि विरूद्ध हो गई थी, क्योंकि उनका सामान्य उद्देश्य "गंगाराजू के

हस्तक्षेप को बाहर करना और यदि आवश्यकता पडी तो बल प्रयोग करना था"। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि उसकी राय में सभा तब तक गैरकानूनी नहीं थी जब तक उन्होंने ए-13 के कब्जे की रक्षा के लिये बल का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन जब एक बार उन्होंने बल का प्रयोग शुरू कर दिया और अभियोजन पक्ष के सदस्यों पर हमले करना शुरू किया, सभा विधि विरूद्ध हो गई। इस तर्क पर विचारण न्यायालय ने उपरोक्त आरोपियों को आईपीसी की धारा 148 के तहत अपराध का दोषी पाया।

आरोपी संख्या 1 से 4 के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 7 और 12 के खिलाफ धारा 302 के साथ धारा 149 के लगाये गये आरोप पर विचार करते हुये विचारण न्यायालय ने मृतक को लगी चोटों पर विचार किया। यह पाया गया कि सिर पर लगी चोटें किसी तेज धारदार हथियार से नहीं लगी थी जबकि चोटें 4 और 6 मृतक की दाईं और बाईं बांह पर चाकू से किये गये घाव थे जो तेज काटने वाले हथियार से लगे हो सकते थे। इन दो चोटों के अलावा अन्य चोटों की प्रकृति घर्षण या फटे हुये घाव थे जो कठोर, कुंद पदार्थ से कारित हो सकती थीं। डॉक्टर की राय पर भी गौर किया कि चोटें कुल मिलाकर प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी। प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में कोई भी चोट स्वयं में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त नहीं थी। इस प्रश्न पर विचार करते हुये कि किस आरोपी ने कौन सी विशिष्ट चोट कारित की है, चश्मदीद गवाहों के साक्ष्यों को देखने के बाद यह निष्कर्ष

निकला कि उनकी साक्ष्य सुसंगत नहीं थी, यह निश्चित रूप से पता चलता है कि आरोपी 1 से 4 और 7 ने मृतक को चोट पहुंचाने में भाग लिया था। आरोपी नंबर 12 की भागीदारी कुछ हद तक संदिग्ध थी। शेष आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार थे। अभियुक्तों की ओर से किये गये अनुरोध पर ध्यान दिया गया कि अभियुक्त संख्या 2,9 और 12 को भी कई चोटें लगी थीं, यद्यपि वह सामान्य प्रकृति की थी जो तेज धार वाले हथियार से लगी थी और अभियोजन इस बारे में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं कर पाया कि वे चा ेटें कैसे आईं। इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि विशिष्ट आरोपी ने किसी विशिष्ट चोट को कारित नहीं किया। चिकित्सकीय साक्ष्यों से लेकिन पता चलता है कि चोटें 4 और 6 एक तेज काटने वाले हथियार के कारण कारित हुई थीं और पार्श्विका क्षेत्र और सिर के अन्य हिस्सों पर चोटें केवल कटी हुयी चोटें थी जो किसी तेज काटने वाले हथियार के कारण नहीं हो सकती थीं। यद्यपि चश्मदीद साक्षी ने सिर की चोटों के लिये आरोपी 1 और 4 को जिम्मेदार ठहराया था, जिनके बारे में कहा गया कि वे एम.ओ जैसे चाकुओं से लैस थे। यह निष्कर्ष निकाला गया कि कई लोगों ने मृतक को घेर लिया और उस पर हमला किया तो यह तर्क देना व्यर्थ होगा कि किसी भी गवाह ने देखा होगा कि कौन सी विशिष्ट चोट किस विशेष आरोपी ने कारित की है। इसलिए इसने किसी विशेष आरोपी द्वारा विशिष्ट चोटें पहुंचाने के संबंध में गवाहों के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया गया। इसके अलावा रिका ॅर्ड पर चिकित्सीय साक्ष्य का प्रभाव यह है कि मृतक की मृत्यु किसी विशिष्ट चोट के कारण नहीं हुई बल्कि सभी चोटों के संचयी

प्रभाव के कारण हुई। विचारण न्यायालय की राय में अत्यधिक खून बहने के कारण मृत्यु हुई। इन निष्कर्षो को दर्ज करते हुये एवं पूर्व के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी आईपीसी की धारा 447 के तहत अपराध के दोषी नहीं थे। विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी को संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार था। अर्थात अपने कब्जे की रक्षा करने के लिए ताकि मृतक और उसके पक्ष के लोग उसमें हस्तक्षेप न करे। हालांकि यह माना गया कि संपत्ति की निजी सुरक्ष के अपने अधिकार का प्रयोग करते समय उन्होंने मृतक पर हमला करके उसकी मृत्यु कारित करके अपने अधिकार का उल्लंघन किया। इसलिए शेष अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त 1 से 4 और 7 को आईपीसी की धारा 302 के बजाय धारा 304 भाग 1 आईपीसी के तहत अपराध का दोषी पाया।

विभिन्न आरोपी व्यक्तियों द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने ए-1, ए-7 और ए-10 को भी धारा 324 आईपीसी के अपराध का दोषी पाया। यहां अपीलकर्ताओं के साथ-साथ ए-1 और ए-4 ने उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश हैदराबाद में क्रिमिनल अपील नंबर 650, 1995 के रूप में दायर की। उच्च न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभियोजन द्वारा की गयी याचिका और विचारण न्यायालय द्वारा निश्चित किए गए निष्कर्षों पर गौर करने के बाद निर्धारित किया कि यद्यपि विचाराधीन भूमि ए-13 ने खरीदी थी, वह मृतक के कब्जे की थी। हालांकि ए-13 ने ई.पी. 37 1992 द्वारा बेदखली का आदेश प्राप्त किया था

परंतु वह केवल कब्जे की कागजी हस्तांतरण था और इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता था कि ए-13 उस जमीन पर वास्तविक भौतिक रूप से काबिज था जो मृतक और उसके परिवार के सदस्यों की खेती के अधीन थी। जहां तक धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत पारित आदेश का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया कि भले ही ऐसा आदेश घटना से केवल एक दिन पहले प्राप्त किया गया था लेकिन इससे यह नहीं सिद्ध होता कि भूमि ए-13 ए-1 या ए-4 की खेती के अधीन थी। उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि हालांकि यह कहने के लिए बहुत कुछ है कि कानूनी लड़ाई में हार के बाद भी मृतक वास्तविक रूप से स्वयं काबिज था। मैं उन आरोपों को फिर से नहीं खोल रहा हूं,जिनके तहत आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है।" इसलिए उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि मृतक और उसके परिवार के सदस्य विवादित भूमि पर खेती कर रहे थे और उन्होंने उसमें मिर्च की फसल उगाई थी और यह ए-13 ए-1 और ए-4 के नेतृत्व में बचाव पक्ष था जो हथियारों से लैस होकर संबंधित भूमि पर गए और पीडितों पर हमला कर दिया। हालांकि ए-13 जमीन का वैध मालिक था लेकिन उसे कानून अपने हाथ में लेकर जमीन पर वास्तविक भौतिक कब्जा प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए उनके और उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा की गई आक्रमकता उचित नहीं थी। मामले को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने धारा 304 भाग-1 आईपीसी के तहत अपीलकर्ताओं की सजा को बरकरार रखा लेकिन मामलें के तथ्यों को देखते हुए धारा

304 भाग-1 आईपीसी के तहत सजा को 7 साल के कठोर कारावास से घटाकर 3 साल के कठोर कारावास में बदल दिया। वहीं जुर्मानें की सजा और जुर्माना अदा न करने पर दी गई सजा को बरकरार रखा गया।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को यहां अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई। जैसे में पहले देखा गया है ए-1 और ए-4 जो उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता थे, ने इस न्यायालय के समक्ष अपील नहीं की है।

इस मामलें को निर्धारित करने में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनमें से एक विचाराधीन भूमि के कब्जे से संबंधित था। विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर की ए-13, ए-1 और ए-4 का विचाराधीन भूमि पर वास्तविक भौतिक कब्जा था, अपीलकर्ताओं को धारा 447 भा.द.स. में अंतर्गत अतिचार के अपराध के लिए दोषी नहीं पाया। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को रद्द नहीं किया है लेकिन फिर भी इस निष्कर्ष की सत्यता पर संदेह किया है और उसी आधार पर आगे बढा है। हमारे विचार में उच्च न्यायालय का ऐसा करना उचित नहीं था। विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर गौर किया जिसमें निर्णायक रूप से स्थापित किया कि ए-13 ने सूरीबाबू से प्रश्नगत जमीन खरीदी थी तब जमीन पर मृतक का कब्जा था। इसलिए ए-13 ने मृतक को बेदखल करने की कार्यवाही शुरू की और उस कार्यवाही में बेदखली का आदेश पारित किया गया। यदि आगे कुछ नहीं हुआ तो कोई उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष के लिए औचित्य पा सकता है कि ए-13 केवल विचाराधीन संपत्ति का कानूनी

मालिक था हालांकि उस पर वास्तविक कब्जा नहीं था और कब्जा अभी भी मृतक के पास था हालांकि ए-13 केवल निष्पादन का आदेश प्राप्त करने से संतुष्ट नहीं था इस आदेश के निष्पादन के लिए ई.पी. नंबर 37 का 1992 के रूप में निष्पादित कार्यवाही प्रधान जिला मुन्सिफ के न्यायालय में की गई। कब्जा और कब्जें में हस्तांतरण के संबंध में अमीन की रिपार्ट के अनुसार 13 मई 1992 को कब्जे का वास्तविक हस्तातंरण हुआ। इस साक्ष्य को विचारण न्यायालय में स्वीकार कर लिया गया और हम विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में कोई कमी नहीं पाते। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य निर्विवादित स्वरूप का है और स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि बेदखली के आदेश के बाद निष्पादन की कार्यवाही की गई जिसमें कब्जें का वास्तविक हस्तांतरण प्रभावित हुआ और ए-13 को जमीन का कब्जा मिल गया जो अमीन की रिपोर्ट से प्रमाणित है इसलिए उच्च् न्यायालय इस धारणा पर आगे बढने में गलती कर गया कि ए-13 को दिया गया कब्जा महज कागजी कब्जा था। इतना ही नहीं मृतक के खिलाफ दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा एक आदेश भी पारित किया गया था इसलिए हम मानतें है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साम्रगी के आधार पर विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष दर्ज करना उचित था कि ए-13 ए-1 और ए-4 के प्रश्नगत भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा था। उच्च न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद निर्विवादित सबूतों को मध्य नजर इस निष्कर्ष को रद्द कर उचित नहीं किया।

एक बार जब यह निधार्रित कर लिया गया है कि बचाव पक्ष का ही प्रश्नगत भूमि पर कब्जा था तो पूरे मामले का रंग बदल जाता है था क्योंकि ऐसी स्थिति में अपीलकर्ताओं को हमलावर नहीं माना सकता है। वास्तव में विचारण न्यायालय नें यह भी पाया कि अपीलकर्ता केवल मृतक एवं इसके परिजनों से अपने कब्जें की रक्षा कर रहे थे बचाव का मामला संभवतयाः यह है कि वह अपने कब्जे की रक्षा कर रहे थे। जब अभियुक्त पक्ष में सदस्य उन्हें बलपूर्वक बेदखल करने का प्रयास कर रहे थे। यह हमारे सामनें विवादित नहीं था और रिकॉर्ड पर स्पष्ट सबूतों के मध्यनजर इसे विवादित नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं में से तीन अर्थात ए-2 ए-9 और ए-12 को भी उसी घटना में चोटें आई और वे घायल हो गए और उसी दिन अन्वेषण अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया। यह पाया गया कि उन्हें धारदार हथियार से कई चोटें भी आई थी इन चोटों को अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है जो बचाव पक्ष के मामलें को और अधिक प्रबल बनाता है कि अभियोजन पक्ष हमलावार था। यदि बचाव पक्ष का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा था तो उसके लिए आक्रमकता करने का वास्तव में कोई कारण ही नहीं था और यह अभियोजन पक्ष ही था जो बल के उपयोग से अपीलकर्ताओं को बेदखल करने का प्रयास कर रहा था।

विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बचाव पक्ष के सदस्यों को हालांकि संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार था लेकिन उन्होंने उस अधिकार का उल्लंघन किया जिसके परिणाम स्वरूप अंततः अभियोजन पक्ष के सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई। यह इस धारणा पर था कि बचाव पक्ष के सदस्य के पास केवल संपत्ति की

निजी सुरक्षा का अधिकार था जो उन्हें इस अधिकार के प्रयोग में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित का अधिकार नहीं प्रदान करता। लेकिन इस मामलें के तथ्यों से पता चलता है कि जब उन्होंने संपत्ति की निजी सुरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग किया तो अभियोजन पक्ष के सदस्यों ने उन पर हमला किया और उनमें से तीन को चोटें आई। इस संबंध में बचाव का मामला संभावित प्रतीत होता है और इसलिए हालांकि शुरू में अपीलकर्ताओं के पास केवल संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार था लेकिन जब एक बार अभियोजन पक्ष के सदस्यों ने उन पर तेज धार वालों हथियारों से हमला शुरू कर दिया तब उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया चूंकि इन परिस्थितयों में उन्हें यह आशंका रही होगी कि मृत्यु नहीं तो कम से कम उन्हें गंभीर चोट पहुंच सकती है। वह निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के सदस्यों को रोकने के लिये उचित बल का प्रयोग करने के हकदार थे और उनका व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार आवश्यकता होने पर हमलावर की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित किया जा सकता है। दुर्भाग्य से अधीनस्थ न्यायालय ने मामलें को इस नजरिये से नहीं देखा हमारा विचार है कि अपीलकर्ता मामलें के तथ्य और परिस्थितयों में संपत्ति की सुरक्षा में अधिकार के साथ-साथ व्यक्ति की निजी सुरक्षा के अपने अधिकार के प्रयोग करने के अधिकार थे।

यदि यह मान लिया जाये कि अपीलकर्ताओं को व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ तब भी उन्होंने संपत्ति की सुरक्षा में व्यक्तिगत अधिकार का अतिक्रमण किया है। यह देखना होगा कि किसनें अधिकार का अतिक्रमण किया है। यह सुस्थापित

है कि ऐसे मामलें में जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि बचाव पक्ष के सदस्यों ने निजी रक्षा के अधिकार का अतिलंघन किया है वह अदालत को केवल उन लोगों की पहचान करनी चाहिए और दण्डित करना चाहिए जिन्होंने अधिकार का उल्लंघन किया है। भा.द.स. की धारा 34/149 उन व्यक्तियों के मामलें में लागू नहीं होगी जो अपने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग कर रहे है। (देखेः- बिहार राज्य बनाम मथु पांडे, [1997] 1 एससीआर 358 और सुब्रमणि बनाम तमिलनाडू राज्य [2002] 7 एससीसी 210)। इसी कारण से अपीलकर्ताओं को भा.द.स. की धारा 148 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि निजी रक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है।

मौजूदा मामलें में विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से एक निष्कर्ष दर्ज किया कि यह पता लगाना संभव नहीं था कि किस आरोपी ने मृतक को कौनसी चोट पहुंचायी। विचारण न्यायालय ने इस संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जो किसी भी स्थिति में सुसंगत नहीं थे। रिकार्ॅड पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य का प्रभाव यह है कि मृत्यु सभी चोटों के संचयी प्रभाव का परिणाम थी। परिणाम स्वरूप किसी भी एक चोट के कारण मृतक की मृत्यु नहीं हुई। संपत्ति की निजी सुरक्षा के अधिकार के प्रयोग में अपीलकर्ता निश्चित रूप से मृत्यु कारित करने के अलावा आवश्यक बल का उपयोग करने के हकदार थे। इस स्थिति में रिकॉर्ड मौजूद साक्ष्य से यह निश्चित निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि अपीलकर्ताओं में से कौन

निजी बचाव के अपने अधिकार से आगे निकल गया और इसलिए संदेह का लाभ सभी अपीलकर्ताओं को मिलना चाहिए।

मामलें को देखते हुए यह अपील सफल होती है और अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाये गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। हम देखते हैं कि कि आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 4 अर्थात थम्मीरेडडी, अप्पाराव और लंका तातायय़ालु के मामलें अपीलकर्ताओं के समान ही है। किसी कारण से उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष अपील नहीं की है लेकिन हमें लगता है कि न्याय के हित में वे भी इस फैसलें का लाभ पाने के हकदार है। इसलिए हम उन्हें भी दोषमुक्त करने का आदेश देते है। यहां अपीलकर्ताओं के साथ-साथ आरोपी संख्या 1 और 4 अर्थात थम्मीरेडडी, अप्पाराव और लंका तातायय़ालु यदि हिरासत में है और उन्हें किसी अन्य मामलें के संबंध में आवश्यक नहीं होने पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा तदनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है।

ए.के.टी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीलोफर तोमर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।